



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) Ph.: 0141-2706106 (O)

Letter No. CCE/ISDC/RACE/IDEA/2019/1317;

Date: 03<sup>rd</sup> October 2019

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय: RACE कार्यक्रमान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अन्तर-संकाय संवाद प्रोत्साहन हेतु नवाचारपरक पहल के लिये **Inter Disciplinary Educational Association (IDEA)** योजना आरम्भ करवाने बाबत।

सन्दर्भ: RACE एवं AAP/ CAP के अन्तर्गत अन्तर-संकाय संवाद की अनिवार्य क्रियान्विति।

महोदय,

राजकीय महाविद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा विकास एवं शिक्षा की उत्कृष्टता के लिये संस्थाओं में कार्यरत संकाय सदस्यों में बहु-अनुशासनात्मक गुणात्मक अभिवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सभी राजकीय महाविद्यालयों में अन्तर-संकाय संवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं। इसके लिये विभाग की ओर से **Inter Disciplinary Educational Association (IDEA)** योजना आरम्भ की जा रही है, जिसका विवरण आगामी पृष्ठों पर अंकित है। आपसे आग्रह है कि आप निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय में इस योजना की क्रियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रदीप कुमार बोरड़ IAS

आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

Letter No. CCE/ISDC/RACE/IDEA/2019/...../1318-19; Date: 03<sup>rd</sup> Sept. 2019

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ P&C/ Acad./ Admn./RUSA आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर को सम्भाग स्तर पर इस कार्यक्रम की निर्देशानुसार मॉनिटरिंग हेतु।
8. संबंधित महाविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को इस कार्यक्रम की महाविद्यालय स्तर पर निर्देशानुसार मॉनिटरिंग करने हेतु।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी अधिकारी,

RACE योजना तथा नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ



कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

राजकीय महाविद्यालयों में अन्तर-संकाय संवाद प्रोत्साहन हेतु  
**Inter Disciplinary Educational Association (IDEA) योजना**  
(RACE कार्यक्रमान्तर्गत नवाचारपरक पहल)

**प्रस्तावना :-**

राजकीय महाविद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा विकास एवं शिक्षा की उत्कृष्टता के लिये संस्थाओं में कार्यरत संकाय सदस्यों में बहु-अनुशासनात्मक गुणात्मक अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास आवश्यक हैं। अतः इन संस्थाओं में अन्तर-संकाय संवाद केन्द्रित नवाचारपरक पहल की जा रही है। इस पहल के अन्तर्गत संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिये सामूहिक रूप से अन्तर-संकाय केन्द्रित ऐसे विषयों पर व्याख्यान/चर्चा सत्र आयोजित किये जाने हैं जो सामूहिक रूप से ज्ञानवर्धक/जानकारी अभिवृद्धि/प्रतियोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। इस अन्तर-संकाय संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों में अन्तर-विषयक ज्ञान में अभिवृद्धि के साथ-साथ स्वयं के विषयों की सम्बद्धता को बेहतर ढंग से समझना-समझाना है।

अतः राजकीय महाविद्यालयों में अन्तर संकाय शैक्षणिक संवाद को बढ़ावा देने एवं विद्यार्थियों में भी अन्तर संकाय ज्ञान अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में **Inter Disciplinary Educational Association (IDEA)** योजना आरम्भ करवायी जा रही है। इस योजना के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण में गुणात्मक अभिवृद्धि के साथ-साथ शोध वातावरण प्रोत्साहन तथा शिक्षक-शिक्षार्थी संवाद को भी बल मिलेगा।

**योजना के उद्देश्य :-**

1. राजकीय महाविद्यालयों में बहु-अनुशासनात्मक एवं अन्तर-संकाय ज्ञान केन्द्रित संवाद को प्रोत्साहित करना, ताकि संस्थाओं में गुणात्मक उच्च शैक्षणिक वातावरण तैयार हो।
2. पदस्थापित संकाय सदस्यों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों में गुणात्मक ज्ञान अभिवृद्धि के लिये निर्देशित कार्यक्रमों के माध्यम व्यवस्थित प्रयास करना।
3. विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों में बहु-आयामी प्रतिभा विकास प्रोत्साहित करना।
4. महाविद्यालयों में शिक्षण एवं शोध का उत्कृष्ट वातावरण प्रेरित करना।
5. विद्यार्थियों में प्रतियोगी क्षमता विकास का एक और आयाम स्थापित करवाना।
6. शिक्षक- शिक्षार्थियों के बीच परि-कक्षा संवाद प्रोत्साहित करना।

**योजना का अपेक्षित लाभ :**

1. राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं संस्थागत गुणात्मक अभिवृद्धि होगी।
2. पदस्थापित संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के ज्ञान में गुणात्मक अभिवृद्धि होगी।
3. महाविद्यालयों शोध प्रोत्साहनपरक वातावरण प्रेरित होगा।

4. विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को संबंधित विषयों/अनुशासनों में हो रहे नवाचारों की जानकारी मिल सकेगी, इससे समग्र ज्ञान आधारित दृष्टिकोण विकसित होगा।

क्रियान्विति हेतु क्या किया जाना है ?

1. सभी राजकीय महाविद्यालयों में एक **Inter Disciplinary Educational Association (IDEA)** समिति की स्थापना करवाई जानी है। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे तथा इस अन्तर-संकाय संवाद आयोजन के लिये उपयुक्त संकाय सदस्य, जो सक्रियता के साथ अपेक्षित व्याख्यान/चर्चा सत्रों का आयोजन करवा सके, को इसका आयोजन सचिव नामित किया जावे। समिति की संरचना इस प्रकार रहेगी -

- अध्यक्ष (1) - प्राचार्य
- आयोजन सचिव (1) - संकाय सदस्य (आयोजन करवाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति)
- आयोजन सह-सचिव (1-2) - संकाय सदस्य (आयोजन करवाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति)
- समिति सदस्य (3-5) - संकाय सदस्य
- समिति सह-सदस्य (5-10) - स्नातकोत्तर/स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी

2. इस IDEA समूह के माध्यम से प्रत्येक माह में दो बार - द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को अपरान्ह 2.00 बजे से 3.30 बजे तक के बीच व्याख्यान/चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाना है।

- यदि द्वितीय/चतुर्थ शनिवार को अवकाश हो तो इस कार्यक्रम को किसी अन्य दिवस पर इसी समय आयोजित करवाये जाने की व्यवस्था करावें।
- इस संवाद कार्यक्रम में उस दिन महाविद्यालय में उपस्थित सभी संकाय सदस्यों (पूर्व निर्धारित नियमित कक्षाओं को छोड़कर) की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ध्यान दें कि इस समयावधि में जो नियमित कक्षाएँ पूर्व निर्धारित होगी, वे यथावत संचालित की जायेंगी। परन्तु, किसी कारणवश विद्यार्थी नहीं आये हुए हों तो ऐसे संकाय सदस्य भी इस आयोजन सत्र में ही उपस्थित रहेंगे।
- यह संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी हितकारी कार्यक्रम है, अतः इसका महत्व स्थापित करना एवं इसका सुचारु संचालन करवाया जाना महाविद्यालय पर निर्भर करेगा।
- अतः महाविद्यालय इस कार्यक्रम को ना केवल आयोजित करवाने बल्कि इसमें अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करवाने का प्रयास करें।

3. इस संवाद कार्यक्रम की प्रत्येक श्रृंखला में एक/दो संकाय सदस्यों के अन्तर-विषयक सम-सामयिक विषय वस्तु पर व्याख्यान/प्रजेन्टेशन आयोजित करवाने हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रजेन्टेशन के लिये प्रोत्साहित करें। एक दिन में तीन से अधिक प्रजेन्टेशन्स नहीं करावें। प्रयास करें कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालय में पदस्थापित सभी संकाय सदस्य बारी बारी से अपना व्याख्यान तैयार करके प्रस्तुत करें, इससे सही मायने में बहु-अनुशासनात्मक गुणात्मक शैक्षणिक अभिवृद्धि की यह संकल्पना सार्थक सिद्ध हो सकेगी।

4. इस संवाद कार्यक्रम में बैठने के स्थान की क्षमतानुरूप विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जना अनिवार्य है। इसमें स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हुए यथा स्थान उपलब्ध किसी भी कक्षा के नियमित विद्यार्थी को बैठाया जा सकता है। यथा संभव इस कार्यक्रम को ऐसे स्थान पर आयोजित करावें ताकि इसमें अधिकाधिक संख्या में संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी सम्मिलित हो सकें।
5. इस प्रकार के आयोजन NAAC एवं AAP/CAP मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी महाविद्यालय अंकेक्षण/मूल्यांकन का भाग हैं, अतः इनका आयोजन एवं रिकार्ड संधारण महाविद्यालयों के लिये आवश्यक है। महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति इस कार्यक्रमान्तर्गत आयोजित व्याख्यानों/प्रजेन्टेशन्स का रिकार्ड संधारित करेगी।
6. इस कार्यक्रम में अन्तर-विषयक सम-सामयिक विषयक वस्तु केन्द्रित व्याख्यान/परिचर्चा/प्रजेन्टेशन्स/स्थानीय कार्यशाला/स्थानीय सेमीनार/शोध व्याख्यान ही करवाये जाने हैं। ये कार्यक्रम विषय नवीनता, नॉलेज अपडेट, ज्ञान अभिवृद्धि, शोधपरक/शोध परिणाम आधारित अथवा जागरुकता आधारित ही होने चाहिये। इस मंच के माध्यम से किसी भी प्रकार की राजनैतिक अथवा किसी विवादित विषय पर चर्चा/संवाद किया जाना वर्जित है। स्थानीय कार्यशाला/स्थानीय सेमीनार के आयोजन हेतु कार्यक्रम अवधि को अपरान्ह पश्चात 3.30 से बढ़ाकर सांय 5.00 बजे तक किया जा सकता है, परन्तु स्थानीय कार्यशाला/स्थानीय सेमीनार के ऐसे बड़े आयोजन एक माह में एक बार से अधिक बार नहीं किये जा सकेंगे।

#### इस आयोजन हेतु वित्तीय व्यवस्था ?

1. Inter Disciplinary Educational Association (IDEA) योजना के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले अन्तर-संकाय कार्यक्रम हेतु कोई विशेष व्यय नहीं किया जाना है। तथापि, इसके लिये यदि फ्लैक्स बनवाने, फोटोग्राफी-विडियोग्राफी, अथवा अन्य किसी प्रकार के अल्प व्यय की आवश्यकता हो तो इसे महाविद्यालय स्तर पर उचित मद से ही करवाया जाना है। इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता सरकार/विभाग के स्तर से उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी।
2. इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन/पर्सन्स स्थानीय हैं। अतः किसी भी प्रकार का मानदेय/यात्रा व्यय आदि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जायेगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्यानुसार यह प्रयोजन स्थानीय स्तर पर संकाय सदस्यों में अन्तर-संकाय संवाद को प्रोत्साहित करने के लिये है। साथ ही इसमें विद्यार्थियों को भी अभिव्यक्ति के लिये स्थानीय मंच उपलब्ध करवाना है।

#### आयोजन कैसे करें ?


1. इस कार्यक्रम का अभिप्राय सूचित करते हुए सभी संकाय सदस्यों को एक सूचना प्रेषित करवायें। सुविधानुरूप दिवस की सहमति प्राप्त करते हुए महाविद्यालय स्तर पर एक कलैण्डर तैयार करवायें।
2. आयोजन दिवस से कम से कम एक सप्ताह पूर्व में व्याख्यान देने वाले का नाम, पद, विषय एवं व्याख्यान शीर्षक की सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवायें एवं संकाय सदस्यों को सूचित करवाने हेतु सूचना भिजवायें। साथ ही, महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सूचनार्थ भी इस नोटिस को अधिकाधिक प्रसारित करावें। स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस बाबत समाचार प्रकाशित करवाकर भी प्रचारित/प्रसारित करें।

3. इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी व्याख्यान/प्रजेन्टेशन के लिये आमंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी व्याख्यान/प्रजेन्टेशन के लिये तैयार होता है तो उसके नाम की भी नोटिस बोर्ड पर सूचना लगवायें तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रसारित करें।
4. सभी की सूचनार्थ जारी सूचना/नोटिस में आयोजन का दिनांक, स्थान एवं समय का स्पष्टतः उल्लेख करवायें, जिससे कि श्रोताओं/सहभागियों को किसी प्रकार की असुविधा नही हो।
5. ध्यान दें कि इस कार्यक्रमान्तर्गत हो रहे व्याख्यान/प्रजेन्टेशन की आदर्शतः न्यूनतम अवधि 30 मिनट होनी चाहिये। और, एक दिन में तीन से अधिक व्याख्यान आयोजित नहीं किये जायें।
6. महाविद्यालय द्वारा संबंधित रिसोर्स पर्सन/विद्यार्थी को उनके द्वारा दिये गये व्याख्यान के लिये प्रमाणपत्र दिया जा सकता है, जिस पर प्राचार्य एवं समन्वयक द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।
7. इस कार्यक्रमान्तर्गत व्याख्यान/प्रजेन्टेशन फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक (विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा के आरम्भ होने तक) आयोजित करवाये जा सकते हैं।

#### इस कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण ?

1. इस कार्यक्रमान्तर्गत आयोजित किये गये व्याख्यान/परिचर्चा/प्रजेन्टेशन्स/स्थानीय कार्यशाला/स्थानीय सेमीनार/शोध व्याख्यान की दिवस वार संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें रिसोर्स पर्सन का नाम, पद, विषय, व्याख्यान शीर्षक, उपस्थित व्यक्तियों की संख्या तथा व्याख्यान के मुख्य बिन्दु एवं सारांश आदि का विवरण तैयार किया जाना है।
2. प्रत्येक व्याख्यान के फोटोग्राफ्स/विडियोग्राफी का रिकार्ड संघारित करें। भले ही यह फोटोग्राफी/विडियोग्राफी मोबाइल से ही की गई हो। यथा संभव अच्छी गुणवत्ता के फोटोग्राफ्स/विडियोग्राफी को प्राथमिकता दें।
3. फरवरी 2020 के अन्तिम सप्ताह में इस रिकार्ड की प्रति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास को प्रेषित की जानी है।

संकाय सदस्य, विद्यार्थी एवं संस्था हित में इस आयोजन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसका आयोजन आरम्भ करावें। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी अथवा मार्गदर्शन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में प्रभारी अधिकारी, RACE योजना तथा नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ डा. विनोद कुमार भारद्वाज से उनके मोबाइल नम्बर 9414304650 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
**प्रदीप कुमार बोरड़ IAS**  
 आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
 विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान